न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 24/2021

श्री रामबाबू गुर्जर पुत्र दुर्गालाल गुर्जर मकान नं0 8 ज्योतीनगर बमोर रोड अन्नपूर्णा डूगरी टोंक जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 24–8–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15–5–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1– ब्लॉक देवली के ग्राम पंचायत बालून्दा में जिन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की वसुली राशि जमा कराई गई है उन की सूची उपलब्ध करावे।

2– ब्लॉक देवली के ग्राम पंचायत बालून्दा में जिन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की वसुली राशि जमा कराई गई है उन की सुची मय नाम एवं राशन नम्बर एवं कुल सामग्री जिस की ऐवज में राशि जमा कराई एवं राशि कितनी जमा कराई गई है सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

3– ब्लॉक देवली के ग्राम पंचायत बालून्दा में जिन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के बाद में खाद्य सुरक्षा योजना की वसुली राशि जमा नहीं कराई गई है उन की सूची उपलब्ध कराने बाबत्।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक और उपखण्ड अधिकरी देवली को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र में अंकित सूचना जिला रसद अधिकारी टों[illegible] प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को प[illegible] 2037 दिनांक 7–7–2021 सें अन्तरित कर दिया गया था। लोक[illegible] अधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांक: रसद/आरटीआई/2021/ 1927 दिनांक [illegible]7–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही [illegible] इस कार्यालय [illegible]ांक रसद/आरटीआई/2021/ 1722 दिनाक 12–7–20[illegible] द्वारा अपीलार्थी को [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्ध में जरिये ई–मेल rajdigigyan@gmail.com . से सूचित किया जा चुका है कि वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 7 (9) व 2 (एफ) एंव 8(11) में विस्तृत एंव खोजबीन व व्यक्तिगत होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध मे सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested